

क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/पार्ट-2
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ-भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

दिनांक /02/2024

--:आदेश:--


छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा उपअभियंता (सिविल) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से दिनांक 08.05.2022 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण की दस्तावेज सत्यापना उपरान्त विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/4006 दिनांक 04.05.2023 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 4008 दिनांक 08.05.2023 द्वारा उपअभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं।

अभ्यर्थी को उपअभियंता (सिविल) के पद पर उपस्थित/कार्यग्रहण हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान किये जाने एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3323115/छ.ग./2019/8195 दिनांक 05.09.2023 द्वारा उपअभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी के कंडिका-2 के बिन्दु (9) के परिपालन में अभ्यर्थी द्वारा समयावधि पर उपअभियंता (सिविल) के पद उपस्थित/कार्यग्रहण न करने तथा नवनियुक्त उपअभियंता (सिविल) द्वारा त्याग पत्र दिये जाने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3323115/छ.ग.2019/पार्ट-2/10923 दिनांक 14.12.2023 द्वारा त्याग-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुये पदों पर विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार प्रतीक्षा सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वेतन पुनरीक्षित नियम-2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 रूपये 35400-112400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है।

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आदित्य शर्मा	निर्मल कुमार शर्मा	आई.एन सी/ओ बी. एल. शर्मा (अधिवक्ता) नियर विक्रम टेलर्स के पास रामदास मार्ग, टिकरापारा बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अनारक्षित	09.03.1994	116		कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर
2.	विकास डडसेना	डी.के. डडसेना	वार्ड नं.-1, मौहापारा, भेण्डरी तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.) पिन नं. 493885	अ.पि.व.	03.07.1997	174		कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी
3.	रश्मि यादव	एम.एल. यादव	एमआईजी 2/14, नर्मदा नगर, सिद्ध शिखर अपार्टमेंट के पीछे बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अ.पि.व. (मुक्त वर्ग महिला)	24.04.1996	468		कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर

नियुक्ति की शर्तें :-

- (1) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 57/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी।
 - (2) किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
 - (3) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
 - (4) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (5) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (6) चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (7) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधियां पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।
 - (8) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 282/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।
 - (9) अभ्यर्थी को उनके पदस्थ किये गये कार्यालय में पदस्थापना आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
 - (10) कार्यग्रहण करने के तुरन्त पश्चात अभ्यर्थी को अस्थाई घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
 - (11) तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (12) चयनित अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग -1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
 - (13) कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - (14) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम अनुसार रहेगा।
 - (15) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधित दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार/अभ्यर्थी, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।
- 4/ उपरोक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।



(इन्द्रजीत उइके)
प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (2) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ/01-16/31/स्था./2020, दिनांक 02.12.2021 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (3) मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
- (4) मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
- (5) अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एव भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर।
- (6) अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर।
- (7) जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, (छ.ग.)।
- (8) अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाईट में [http://www. cgwrd.in](http://www.cgwrd.in) तत्काल अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (9) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी।
- (10) कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर।
कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जाये।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।


(इन्द्रजीत उइके)

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

पंजीकृत डाक से